दिनांक–18.02.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (2) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (3) मो0 वसीम अहमद, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (4) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क)दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

अद्यतन स्थिति तक पटना, नालंदा, खगड़िया, बक्सर एवं मुंगेर जिलो में कुल लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विरूद्ध 60 प्रतिशत से भी कम उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि सभी DDC एवं DPRO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैम्प आयोजित कर लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन करवायें। जिन जिलों में स्वीकृति आदेश एवं आवंटन आदेश की समस्या आ रही है वें विभाग के UC Cell से सम्पर्क कर उपलब्ध दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– दक्षिण बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार)

कृ0पृ0उ0

II. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण तथा क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 54, LAEO के द्वारा 146 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 133 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु भागलपर, बक्सर, गया जी, नालंदा, पटना एवं रोहतास जिलो द्वारा उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर एक सप्ताह के अंदर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) पंचायत सरकार भवन के व्यय प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दक्षिण बिहार के सभी 17 जिलों को कुल आवंटित ₹130.95 करोड़ की राशि के विरूद्ध मात्र ₹36.01 करोड़ की राशि ही व्यय की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा कर अवशेष राशि के व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। अवशेष राशि का उपयोग पूर्व से ग्राम पंचायत के द्वारा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन तथा नये 1069 पंचायत सरकार भवन मे किया जा सकता है। यह भी निदेश दिया गया कि जिन जिलो के द्वारा इस वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व शेष राशि व्यय नहीं की जाएगी, उन जिलो के DPRO पर जबाबदेही तय कर विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क).मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के चतुर्थ चरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक दक्षिण बिहार के कुल 04 जिलो द्वारा एक भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन नहीं किया गया है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई कर विभाग को सूचित किया जाए।

(ख).सभी चरणों को मिलाकर जमुई, भागलपुर, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिलों में कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में शेष सोलर स्ट्रीट लाईट को चतुर्थ चरण में कार्यरत एजेंसी को हस्तांतरित करते हुए दिनांक–31.03.2025 तक

अधिष्ठापन कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। सभी DPRO यह सुनिश्चित करे कि CMS का dashboard उनके कार्यालय कक्ष में होना चाहिए। सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए। साथ ही समय–समय पर field inspection कराकर CMS पर प्रदर्शित आकड़ो का भी मिलान करा लिया जाए ताकि Data manipulation पर रोक लगाई जा सके।

यह भी निदेश दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के समृद्धि यात्रा से पहले सभी service centerकी जाँच कर यह सुनिश्चित करे कि वह पूर्ण रूप से संचालित हो ।

समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक जमुई, भागलपुर, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, पटना, रोहतास एवं भोजपुर जिलों में CMS Portal के अनुसार 72 घंटो से उपर Signal Loss एवं Faulty सोलर स्ट्रीट लाईट की संख्या अधिक है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा सभी DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से सभी पंचायतों सचिवों को इसकी जाँच हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करें तथा सभी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर से CMS पर प्रदर्शित आकड़ो का मौजूदा तिथि के साथ मिलान करायें।

(ग). सोलर स्ट्रीट लाईट योजनान्तर्गत व्यय/निकासी की गयी राशि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दक्षिण बिहार के सभी 17 जिलो को कुल आवंटित ₹ 118.95 करोड़ की राशि के विरूद्ध मात्र ₹74.12 करोड़ की राशि ही व्यय की गयी है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी। इस संबंध में सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से इसकी नियमित समीक्षा कर अवशेष राशि के व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। यह भी निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के समापन के लिए जितनी राशि की आवश्यकता है, उससे संबंधित अधियाचना एक सप्ताह के अंदर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ताकि ज्ञात हो सके की इस योजना के समापन के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है।

(घ). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कैमुर, नवादा, जहानाबाद, बांका एवं शेखपुरा जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रोहतास, कैमुर, पटना, बक्सर, भागलपुर एवं औरंगाबाद जिलें में सभी चरणो में कार्यरत एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। सभी DPRO यह सुनिश्चित करें कि एक सप्ताह के अंदर सभी पंचायत सचिव का CMS से संबंधित User Id create कर सोलर स्ट्रीट लाईट का निरीक्षण करायें।

लगातार............

IV. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगअंतर्गत ली गयी योजनाओं के भुगतान की अद्यतन स्थिति:–

(क)समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत है:–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	26.64%
02	पंचायत समिति	52.94%
03	ग्राम पंचायत	57.74%

नालन्दा, बक्सर, नवादा, औरंगाबाद एवं मुंगेर जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर इस वित्तीय बर्ष की समाप्ति तक प्राप्त राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

पंचायत समिति द्वारा व्यय की गयी राशि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गया जी, पटना, नालंदा, नवादा एवं मुंगेर जिलो द्वारा व्यय की गयी राशि 50% से भी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी तथा सभी DDC को निदेश दिया गया कि प्रत्येक 15 दिनो में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक कर व्यय हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

(ख)षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग:–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्न्वत है:–

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	31.36%
02	पंचायत समिति	62.57%
03	ग्राम पंचायत	67.35%

नवादा, गया जी, नालन्दा, पटना एवं जहानाबाद जिलो के जिला परिषद् द्वारा सबसे कम राशि व्यय की गयी है। संबंधित उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एक माह के अंदर कम से कम 50% का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें। उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर इस वित्तीय बर्ष की समाप्ति तक प्राप्त राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषदएवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार............

V. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक तकनीकी सहायक द्वारा 138 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है जिसमें से मात्र 41 का ही तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गयी है। शेष जिलों के DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि स्थानीय स्तर के LAEO के कार्यपालक अभियंता से प्राकल्लन तैयार कराकर निर्माण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. **RTPS Application की जिलावार अद्यतन स्थितिः–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों यथा अरवल, भागलपुर, बक्सर, रोहतास, नवादा एवं नालंदा जिलों में पिछले 01 माह में प्रति पंचायत प्राप्त आवेदनों की संख्या काफी कम है, जो कि चिंताजनक है। जिस केन्द्र पर प्राप्त आवेदनो की संख्या कम है, उस केन्द्र के कार्यपालक सहायक के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। जो कार्यपालक सहायक RTPS केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहते है, उनकी उपस्थिति विवरणी अनुपस्थित कर DPRO को BPRO के द्वारा भेजा जाएगा एवं DPRO के द्वारा उस अनुपस्थिति के आधार पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. **Summary of Gram Kachahari Having Registered Zero Case :–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भागलपुर, बक्सर एवं नालंदा जिलों में कुल 07 पंचायत ऐसे है जहाँ शून्य मामले पंजीकृत है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। सभी DDC/DPRO को निदेश दिया गया कि जिन जिलों में शून्य पंजीकृत ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्याय मित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें। यदि उन ग्राम कचहरियों के कार्यों में सरपंच के द्वारा बाधा उत्पन्न की जाए तो संबंधित सरपंच के विरूद्ध कार्रवाई हेतु लोक प्रहरी को सूचित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापितकरते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26/02/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

लगातार............

ज्ञापांकः–9प० / प्र0–08–802(खंड) / 2016 / 3972 / पं०रा० पटना, दिनांक 6/3/2026

प्रतिलिपिः–दक्षिण बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद दक्षिण बिहार / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दक्षिण बिहार / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दक्षिण बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
6.3.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / प्र0–08–802(खंड) / 2016 / 3972 / पं०रा० पटना, दिनांक 6/3/2026

प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के आशुलिपिक / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निर्भय
6.3.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प० / प्र0–08–802(खंड) / 2016 / 3972 / पं०रा० पटना, दिनांक 6/3/2026

प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

निर्भय
6.3.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव